संख्या-422/2023/934/22-2-2023-17(105)/2021

प्रेषक,

कृष्ण कुमार सिंह,
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 26 जून, 2023

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी क्रान्ति चौधरी पुत्र श्री विपत चौधरी, निवासी जनपद-बस्ती की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1019/प्रोबेशन-3-फार्म-ए/(एम-01.12.2022), दिनांक-10.01.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी क्रान्ति चौधरी पुत्र श्री विपत चौधरी, ग्राम-धमौरा, थाना-पुरानी बस्ती, जनपद-बस्ती का निवासी है। वादी का भाई राजेश तिवारी विप्रो कालसेन्टर में स्टाफ को लाने व ले जाने के लिए गाड़ी ड्राइवर का काम करता था। दिनांक 19/20.10.2004 को बन्दी ने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर गला दबाकर राजेश तिवारी नामक व्यक्ति की हत्या कर दी और क्वालिस गाड़ी को लूट लिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-12/2005 में भा0द0वि0 की धारा-394, 302, 201, 411 के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ एफ0टी0सी0-05, गौतमबुद्धनगर के आदेश दिनांक 13.06.2008 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, गौतमबुद्धनगर ने बंदी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित किये बिना व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, पुनः अपराध कारित करने की संभावना होने, जेल से बाहर आने पर पुनः अपराध में अग्रसर होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि जिला प्रशासन की रिपोर्ट में बन्दी की रिहाई न किए जाने का कोई ठोस कारण परिलक्षित नहीं होता है। इस प्रकार बन्दी द्वारा दिनांक 26.11.2021 तक भोगी गयी अपरिहार 17 वर्ष, 18 दिन तथा सपरिहार 21 वर्ष, 04 माह, 12 दिन की सजा, जेल आचरण सन्तोषजनक होने, बन्दी का अभिभावक बन्दी को संरक्षण में रखने में उपयुक्त होने, बंदी का 01 सहअभियुक्त मा0 न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा किये जाने तथा जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने का कोई ठोस तथ्यात्मक आधार/आख्या अंकित नहीं किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी क्रान्ति चौधरी पुत्र श्री विपत चौधरी को फार्म ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- इस संबंध में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी क्रान्ति चौधरी (बन्दी संख्या-14669) पुत्र श्री विपत चौधरी, निवासी जनपद-बस्ती की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई स्वीकार किये जाने की संस्तुति यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

संख्या-422/2023/1429(1)/22-2-2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बस्ती।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।

3- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को रिट याचिका (क्रि0) सं0-336/2019 रसीदुल जफर उर्फ छोटा बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.09.2022 के सन्दर्भ में।

4- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।

5- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।

6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अजय कुमार तिवारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-422/2023/1429/22-2-2023-17(378)/2023

दिनांक 26 जून, 2023 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी क्रान्ति चौधरी पुत्र श्री विपत चौधरी, ग्राम-धमौरा, थाना-पुरानी बस्ती, जनपद-बस्ती का निवासी है। वादी का भाई राजेश तिवारी विप्रो कालसेन्टर में स्टाफ को लाने व ले जाने के लिए गाड़ी ड्राइवर का काम करता था। दिनांक 19/20.10.2004 को बन्दी ने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर गला दबाकर राजेश तिवारी नामक व्यक्ति की हत्या कर दी और क्वालिस गाड़ी को लूट लिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-12/2005 में भा0द0वि0 की धारा-394, 302, 201, 411 के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ एफ0टी0सी0-05, गौतमबुद्धनगर के आदेश दिनांक 13.06.2008 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, गौतमबुद्धनगर ने बंदी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित किये बिना व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, पुनः अपराध कारित करने की संभावना होने, जेल से बाहर आने पर पुनः अपराध में अग्रसर होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि जिला प्रशासन की रिपोर्ट में बन्दी की रिहाई न किए जाने का कोई ठोस कारण परिलक्षित नहीं होता है। इस प्रकार बन्दी द्वारा दिनांक 26.11.2021 तक भोगी गयी अपरिहार 17 वर्ष, 18 दिन तथा सपरिहार 21 वर्ष, 04 माह, 12 दिन की सजा, जेल आचरण सन्तोषजनक होने, बन्दी का अभिभावक बन्दी को संरक्षण में रखने में उपयुक्त होने, बंदी का 01 सहअभियुक्त मा0 न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा किये जाने तथा जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने का कोई ठोस तथ्यात्मक आधार/आख्या अंकित नहीं किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी क्रान्ति चौधरी पुत्र श्री विपत चौधरी को फार्म ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उक्त बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई स्वीकार किये जाने की संस्तुति यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है।

कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।